बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री अजीत कुमार सिंह, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, नारायणपुर, भागलपुर सम्प्रति प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कुटुम्बा, औरंगाबाद के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक–490 दिनांक–06.06.2024 द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी के लिए दर्ज बिहपुर (भवानीपुर) थाना काण्ड संख्या–407 / 2020 दिनांक–06.10.2020 में कोई साक्ष्य / कागजात इकट्ठा नहीं करने, उक्त कालाबाजारी में आरोपी को बचाव का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से समाहर्त्ता, भागलपुर के न्यायालय में EC-6A के तहत वाद संख्या–238 / 2020–21 में सुनवाई के क्रम में माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर वाद को आगे नहीं बढ़ाने हेतु लिखित बयान देने, माननीय न्यायालय का समय अनावश्यक रूप से बर्बाद करने, सरकार की छवि धूमिल करने एवं अपने पद का दुरूपयोग करने के साथ अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने तथा वरीय पदाधिकारियों के निदेशों की अवहेलना करने जैसे प्रतिवेदित आरोपों के लिए आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया। तद्‌लोक में श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक–144995 दिनांक–16.07.2024 द्वारा इनसे कारणपृच्छा / बचाव बयान की माँग की गई। इस क्रम में श्री सिंह द्वारा समर्पित बचाव बयान के समीक्षोपरान्त इसे स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की सम्यक् जाँच हेतु विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक–156278 दिनांक–04.09.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक–68 दिनांक–14.01.2025 के माध्यम से प्रस्तुत विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन / अधिगम उपलब्ध कराते हुए श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप संख्या–01 एवं 03 को आंशिक रूप से प्रमाणित तथा आरोप संख्या–02 को पूर्णतः प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–192190 दिनांक–17.01.2025 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारणपृच्छा / बचाव बयान की माँग की गई। श्री सिंह द्वारा दिनांक–03.03.2025 को द्वितीय कारणपृच्छा का जवाब / बचाव बयान समर्पित किया गया, जिसमें इन्होंने स्वयं के विरूद्ध प्रतिवेदित प्रमाणित आरोपों का खंडन करते हुए मुख्य रूप से अंकित किया है कि तत्समय मेरा क्षेत्राधिकार प्रखंड–नारायणपुर एवं बिहपुर तक ही सीमित था। अतः बिना किसी वरीय पदाधिकारी के आदेश के मेरे द्वारा भागलपुर प्रखंड में जाकर जाँच करना न तो न्यायोचित था और न ही मेरे कर्त्तव्य के अधीन था। प्राथमिकी दर्ज करते समय मैंने अपने वरीय पदाधिकारी से फोन से बात कर प्राप्त निदेश के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसका उल्लेख मेरे द्वारा प्रथम प्राथमिकी दर्ज में भी किया गया है। प्राथमिकी दर्ज करने के पश्चात् आगे केस की जाँच अन्वेषण पदाधिकारी को करना था। मेरे द्वारा अपना पक्ष रखने का भरसक प्रयास अदालत में किया गया। मैंने किसी अन्य के कहने पर नहीं बल्कि इसमें नियुक्त सहायक अभियोजन पदाधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय में न्यायाधीश के सामने यह कहने पर कि अन्वेषण पदाधिकारी द्वारा केस को तथ्य भूल प्रस्तुत किया गया है। इस केस को चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है जिस कारण मेरे द्वारा सहायक अभियोजन पदाधिकारी की न्यायालय कक्ष में दिये गये निदेश का पालन किया गया।

श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा का जवाब / बचाव बयान तथा उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सिंह का यह कहना कि तत्समय मेरी नियुक्ति एवं क्षेत्राधिकार नारायणपुर तथा बिहपुर प्रखंड तक ही सीमित था। इस कारण मेरे द्वारा चावल मिल मालिक के विरूद्ध कोई जाँच नहीं की गयी। यद्यपि दर्ज प्राथमिकी पर आगे की कार्रवाई हेतु अनुसंधानकर्त्ता पुलिस पदाधिकारी द्वारा मामले की जाँच कर माननीय न्यायालय के समक्ष साक्ष्य उपस्थापित किया जाना समीचीन था, तदापि उक्त प्रतिष्ठान भागलपुर जिले में ही अवस्थित रहने के कारण श्री सिंह को अपने वरीय पदाधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर उक्त प्रतिष्ठान की जाँच की जानी चाहिए थी, जो

इनके द्वारा नहीं किया गया। जहाँ तक श्री सिंह का यह कहना कि जाँच अन्वेषण पदाधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहने का हवाला देते हुए वाद को आगे नहीं बढ़ाने हेतु किये गये अनुरोध के आलोक में जाँच अन्वेषण पदाधिकारी के कथनानुसार मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष वाद को आगे नहीं बढ़ाने हेतु लिखित बयान दिया। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि श्री सिंह द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष वाद को आगे नहीं बढ़ाने हेतु लिखित बयान देने से पूर्व अपने किसी वरीय पदाधिकारी से आदेश प्राप्त नहीं किया गया। जाँच अन्वेषण पदाधिकारी के प्रभाव में आकर कालाबाजारी के विरूद्ध की गई कार्रवाई के संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष स्पष्ट रूप से इनके द्वारा नहीं रखा गया, जो इनकी कर्त्तव्यहीनता और अपने कार्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। फलतः विवेचित तथ्यों के परिशीलन से श्री सिंह का द्वितीय कारणपृच्छा का जवाब / बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है तथा इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अजीत कुमार सिंह, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, नारायणपुर, भागलपुर सम्प्रति प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कुटुम्बा, औरंगाबाद के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत निम्नांकित दण्ड विनिश्चित किया गया है –

(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2020–2021)

(ii) 02 (दो) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अजीत कुमार सिंह, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, नारायणपुर, भागलपुर सम्प्रति प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कुटुम्बा, औरंगाबाद को प्रमाणित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत निम्नांकित दण्ड संसूचित एवं अधिरोपित करते हुए प्रस्तुत विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2020–2021)

(ii) 02 (दो) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

आदेश पर प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

(वीरेन्द्र कुमार प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(भागलपुर)–05 / 2023 1045 /खाद्य, पटना / दिनांक– 16/06/2025

प्रतिलिपि–

1. मो0 नैयय्र इकबाल, सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग–सह–संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ।
2. जिला पदाधिकारी, भागलपुर एवं औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, भागलपुर–सह–साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. अनुमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद सदर को निदेशित किया जाता है कि श्री सिंह को संसूचित दण्ड की प्रविष्टि उनके सेवापुस्त में अंकित करते हुए संसूचित दण्ड का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
6. अनुमंडल पदाधिकारी, नवगछिया, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
8. आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
9. श्री अजीत कुमार सिंह, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कुटुम्बा, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।